न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/83/2018

अपीलार्थी बनाम **प्रत्यर्थी**

श्री पवन कुमार कौशिक
निवासी–प्लॉट संख्या–7, युगल विहार कॉलोनी,
राधा पब्लिक स्कूल के सामने, पोस्ट–गोवर्धन,
जिला–मथुरा, उत्तरप्रदेश–281502

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (अलवर)

प्रवेश तिथि : 30.05.2018

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 13.06.18

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 18.03.2018 के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी बहरोड जिला–अलवर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निजी वन विकास हेतु भूमि आवंटन संबंधित पत्रावली के संबंध में 10 बिन्दुओं पर सूचना की वांछा की गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रा.पत्र दि0 18.03.2018 में वांछित सूचनाऐं नहीं मिलने के कारण इस कार्यालय को प्रार्थना–पत्र दिनांकः 20.05.2018 के माध्यम से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2018/359–60 दिनांकः 30.05.18 के माध्यम तलब कर दिनांकः 07.06.2018 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जरिये पत्रांकः 479–80 दिनांकः 06.06.18 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसके अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 18.03.18 पर पत्रांकः लोक सूचना/2018/193 दिनांकः 13.04.18 के माध्यम से बिन्दुवार विनिश्चय कर अवगत कराया जा चुका है।
7. अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्र दिनांकः 13.04.18 के माध्यम से सूचना प्रेषित की गई है एवं अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 20.05.18 के माध्यम से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है अर्थात् संभवतः अपीलार्थी को उक्त सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है।
8. पत्रावली के परीक्षणोपरान्त प्रकरण में सूचना प्रदत्त है किन्तु लोकहित में प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 18.03.18 पर किए गए विनिश्चय को नियमानुसार पुनः अधिप्रमाणित कर निःशुल्क ही जरिये पंजीकृत डाक, उक्त आदेश प्राप्ति के 07 दिवस में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें।
9. प्रथम अपील उक्तानुसार आंशिक स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित ।

(राकेश कुमार)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)